भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1300
उत्तर देने की तिथि : 25.11.2019

शिक्षा के अधिकार की प्रति बालक लागत

†1300 डॉ. संजय जायसवालः
श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की धारा 12.1. ग के अंतर्गत प्रति बालक लागत (पीसीसी) का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सभी राज्यों में इस हेतु राज्य सलाहकार परिषदें हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त लागत की राज्य-वार कितने अंतराल पर समीक्षा की जाती है;
(घ) यदि इस लागत की वार्षिक रूप से समीक्षा नहीं होती, तो फिर क्या कार्रवाई की जाती है; और
(ङ) क्या अधिसूचित लागत की किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित राज्य-वार प्रति बच्चा लागत को संलग्नक पर दिया गया है।

(ख): तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार परिषदें हैं।

(ग) से (ड.) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की दिशा में उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए प्रति बच्चा लागत अधिसूचित करना अपेक्षित है। प्रति बच्चा लागत को अधिसूचित करना और उसमें संशोधन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत एक समुचित सरकार है।

*****

संलग्नक

‘ शिक्षा के अधिकार की प्रति बालक लागत’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. संजय जायसवाल और श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1300 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा लागत की स्थिति

क्र.स.	**राज्य**	**प्रति वर्ष प्रति बच्चा लागत**
1.	असम	16396 रू.
2.	बिहार	6,569 रू.
3.	चंडीगढ़	16440 रू.
4.	छत्तीसगढ़	प्राथमिक हेतु 7,650/- रू. और उच्च प्राथमिक हेतु 12,050/- रू.

क्र.स.	राज्य	प्रति वर्ष प्रति बच्चा लागत
5.	दिल्ली	प्राथमिक स्तर : रू.. 28008/- उच्च प्राथमिक :रू. 28108/-
6.	गुजरात	13,000/- रू.
7.	हिमाचल प्रदेश	प्राथमिक हेतु 2,895.35/- रू. और उच्च प्राथमिक हेतु 2816.62/- रू.
8.	झारखंड	5100/- रू.
9.	कर्नाटक	पूर्व-प्राथमिक हेतु . 8,000/- रू. और प्राथमिक और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए 16,000/- रू.
10.	लक्षद्वीप	चूंकि संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी निजी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है इसलिए आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) लागू नहीं है।
11.	मध्य प्रदेश	4,640/- रू.
12.	महाराष्ट्र	17670/- रू.
13.	ओडिशा	13,370/- रू.
14.	राजस्थान	13,662/- रू.
15.	तमिलनाडु	11,960/- रू.
16.	त्रिपुरा	21,138/ - रू.
17.	उत्तर प्रदेश	5,400/ रू.
18.	उत्तराखंड	प्राथमिक **:. 18696/-** रू. उच्च प्राथमिक **18796/-** रू.

स्रोत : एडब्ल्यूपीएंडबी 2019-20